

वीर भूमि झारखंड

अपराध

झारखंड हाई कोर्ट ने वृक्ष कटाई मामले में CID की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

झारखंड हाई कोर्ट ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पेड़ों की कटाई की जांच में आपराधिक जांच विभाग (CID) की देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।

झारखंड हाई कोर्ट ने पेड़ों की कटाई से संबंधित जांच में प्रगति की कमी को लेकर राज्य के आपराधिक जांच विभाग (CID) की कड़ी आलोचना की है। अदालत की यह टिप्पणी मामले की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें जांच में हो रही अत्यधिक देरी पर चिंता जताई गई। न्यायपालिका ने इस मामले में CID के कामकाज, विशेषकर तथ्यों का पता लगाने और जांच को निष्कर्ष तक पहुंचाने की गति पर असंतोष व्यक्त किया है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हुई पेड़ों की कटाई न्यायिक जांच का विषय रही है। इस न्यायिक फटकार से कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा त्वरित और प्रभावी जांच की अदालत की अपेक्षा रेखांकित होती है, खासकर ऐसे मामलों में जिनमें पर्यावरण संबंधी चिंताएं और लॉकडाउन जैसी महत्वपूर्ण अवधियों के दौरान संभावित उल्लंघन शामिल हों।

स्रोत: The Avenue Mail



चित्र: Wikimedia Commons / Flashthomson

राजनीति

झारखंड के राज्यपाल और सीएम ने हूल दिवस पर संथाल विद्रोह के नायकों को किया नमन



SHOT ON MI A1
MI DUAL CAMERA

© MOHIT S, 2019.

हुल दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर, झारखंड के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाल विद्रोह के वीर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस आयोजन ने ऐतिहासिक विद्रोह को याद करने का एक अवसर प्रदान किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने संथाल स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और योगदानों को सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोहों में भाग लिया। हुल दिवस उस विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है जिसने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

स्रोत: Hindustan Times

झारखंड के डॉक्टर सुरक्षा कानून के लिए जनता से समर्थन की अपील

झारखंड के डॉक्टर चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट कानून की अपनी पुरानी मांग को मजबूत करने हेतु सार्वजनिक एकजुटता की तलाश कर रहे हैं। चिकित्सा समुदाय ने सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक सुरक्षा अधिनियम के लिए अपनी कॉल को दोहराया है। यह नवीनीकृत अपील स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच उनकी सुरक्षा को लेकर चल रही चिंताओं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। प्रस्तावित अधिनियम डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए एक कानूनी ढांच...

स्रोत: The Times of India